सेवा में,
अपीलीय अधिकारी / मुख्य प्रतिवेदक
विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

विषय: अपील संख्या 575/विस०/160/प्रथम अपील/2026 में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक असमर्थता के कारण दिनांक 10.06.2026 की सुनवाई में उपस्थित न हो पाने तथा निर्णय की सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मुझे आपके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील संख्या 575/विस०/160/प्रथम अपील/2026 संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

महोदय, वर्तमान समय में मैं व्यक्तिगत एवं आर्थिक असमर्थता के कारण हल्द्वानी से देहरादून तक की यात्रा करने में असमर्थ हूँ। साथ ही मेरी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या एवं अस्पताल में उपचार चलने के कारण उनकी देखभाल हेतु घर पर उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। इन परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी अनुपस्थिति में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सुनवाई/निर्णय करने की कृपा करें। साथ ही जो भी आदेश अथवा निर्णय पारित हो, उसकी सूचना मुझे डाक, ईमेल अथवा मोबाइल माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि मैं आगे की आवश्यक कार्यवाही कर सकूँ।

यदि माननीय अधिकारी उचित समझें तो मेरी इस प्रार्थना को लिखित प्रस्तुतीकरण मानते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

मैं आपके कार्यालय का अत्यंत आभारी रहूँगा।

भवदीय,

(श्री विनोद चन्द्र भट्ट)
ग्राम व पोस्ट – दीना (हल्दूचौड़)
लालकुआँ, हल्द्वानी, जिला – नैनीताल

मोबाइल: 9410332400 / 7818971711
ईमेल: unnatiselfhelpgroup@gmail.com

दिनांक: 28/05/26

संलग्न:

1. नोटिस की प्रति

स्पीड पोस्ट

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)

संख्या : /वि०स० / 160 / प्रथम अपील / 2026
देहरादून, दिनांक 22 मई, 2026

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सू०का०अधि० अधिनियम, 2005

अपीलकर्ता: श्री विनोद चन्द्र भट्ट, ग्राम व पोस्ट–दीना (हल्दूचौड़), लालकुआँ, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।

बनाम

प्रतिवादी: श्री नीरज चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड ।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री विनोद चंद्र भट्ट का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत निस्तारणार्थ दिनांक 16.05.2026 का अपीलीय प्रार्थनापत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी, विधान सभा, उत्तराखण्ड के कार्यालय में दिनांक 18.05.2026 को प्राप्त हुआ।

उक्त अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए **दिनांक 10.06.2026** को **पूर्वाह्न 11:00 बजे** का समय तथा स्थान कक्ष संख्या–206, विभागीय अपीलीय अधिकारी कक्ष, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून निर्धारित किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड विधान सभा को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे दिनांक 10.06.2026 को सुनवाई में उपस्थित रहें। लोक सूचना अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित हों।

1. अपीलकर्ता के मूल प्रार्थनापत्र पर लिखित उत्तर।
2. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो।

(हेम चन्द्र गुरूरानी)
अपीलीय अधिकारी / मुख्य प्रतिवेदक।

संख्या : 575/वि०स० / 160 / प्रथम अपील / 2026 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री विनोद चन्द्र भट्ट, ग्राम व पोस्ट–दीना (हल्दूचौड़), लालकुआँ, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
2. श्री नीरज चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड ।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यवाही अनुभाग–01, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
4. अपील पत्रावली।

(हेम चन्द्र गुरूरानी)
अपीलीय अधिकारी / मुख्य प्रतिवेदक।

मोबाईल संख्या : 8191901031
email id : hemgururani@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
पशुपालन विभाग, उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून

विषय: मंत्री व गौ सेवा आयोग के पत्रों पर कार्यवाही

मांगी गई सूचनाएं:
1. मंत्री सौरभ बहुगुणा पत्रांक VIP-577/2025-26 दिनांक 25.01.2026 पर कार्यवाही व नोटशीट दें।
2. गौ सेवा आयोग पत्र दिनांक 27.02.2026 व 569/25.02.2026 पर ATR दें।
3. विधानसभा पत्र 05.03.2026 की प्राप्ति व कार्यवाही बताएं।

संलग्नक:
1. मंत्री जी के पत्र की छाया प्रति
2. गौ सेवा आयोग के दोनों पत्रों की छाया प्रति
3. 36 से अधिक विधायकों के समर्थन पत्रों की छाया प्रति

घोषणा: मैं भारतीय नागरिक हूँ। आवेदन शुल्क हेतु ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 73F 424218 संलग्न है।

आवेदक: विनोद चंद्र भट्ट
पता: दीना, हल्दूचौड़, हल्द्वानी
मोबाइल: 9410332400 / 7818971711
दिनांक: 20.04.2026

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–1
संख्या: 969 /XV–1/2026/06–RTI/2026
देहरादून:दिनांक 30 अप्रैल, 2026

श्री विनोद चंद्र भट्ट,
सचिव, उन्नति स्वयं सहायता समिति,
निवासी दीना, हल्दूचौड़, हल्द्वानी,
जिला नैनीताल,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 20.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिनांक 22.04.2026 को अनुभाग में प्राप्त हुआ है, के माध्यम से 03 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में सूचित कराना है कि आपके द्वारा वांछित बिन्दु 01 से 03 तक की सूचना कुल 15 पृष्ठों में धारित है, जो नियमानुसार प्रति पृष्ठ रु0 2 की दर से कुल रु0 30– के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावाधानानुसार यथासमय उपलब्ध करा दी जायेगी। अतिरिक्त सूचना शुल्क उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर, नकद, नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से राजकोष में जमा कर सकते है।

3. पशुपालन विभाग के विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम व पता निम्नवत हैं।

विभागीय अपीलीय अधिकारी
श्री महावीर सिंह परमार,
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उपसचिव
ए0पी0जे0 अब्दुल कलॉम भवन, तृतीय तल,
कक्ष सं0 308, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
दूरभाष संख्या–9927699133

(प्रभा आर्या)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 969 /XV–1/2026/01–RTI/2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन(विविध) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के रूप में प्राप्त रु0 10 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–73 F 7424218 को राजकोष में जमा करते हुए जमा रसीद उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. गार्डफाईल।

(प्रभा आर्या)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

RTI

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी / उपसचिव,
पशुपालन अनुभाग-1,
उत्तराखंड शासन,
उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत वांछित सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने के संबंध में।

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र संख्या: 969/XV-1/2026/06-RTI/2026, दिनांक 30 अप्रैल, 2026।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 20.04.2026 को मांगी गई 03 बिंदुओं की सूचना के सापेक्ष, आपके द्वारा सूचित किए गए ₹30/- (तीस रुपये मात्र) का अतिरिक्त शुल्क (15 पृष्ठों हेतु) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण निम्नवत है:

भुगतान का माध्यम: भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) / डिमांड ड्राफ्ट

संख्या (Number): 73F-133466, 73F-133467, 73F-133468

दिनांक: ..09/05/2026

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त शुल्क स्वीकार करते हुए वांछित सूचनाएं यथाशीघ्र मेरे पते पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

विनोद चंद्र भट्ट
सचिव, उन्नति स्वयं सहायता समिति,
निवासी: दीना, हल्दूचौड़, हल्द्वानी,
जिला: नैनीताल, उत्तराखण्ड।
मोबाइल नंबर: ..9410332400

संलग्नक:

1. कार्यालय के पत्र की प्रति।
2. ₹30 का पोस्टल ऑर्डर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 19(1))

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी / मुख्य प्रतिवेदक (श्री हेम चन्द्र गुरुरानी)
कक्ष संख्या: 206, उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय,
देहरादून, उत्तराखंड।
मोबाईल न०: 8191901031

विषय: लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु संख्या 1 एवं 2 पर सूचना रोके जाने के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.04.2026 को उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के सापेक्ष राज्य लोक सूचना अधिकारी (श्री नीरज चौधरी, अनुभाग अधिकारी) द्वारा पत्र संख्या **37/वि०स०/16/सूचना का अधिकार/2026 दिनांक 11 मई 2026** के माध्यम से बिंदु संख्या 1 एवं 2 पर अत्यंत भ्रामक, अपूर्ण एवं वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण सूचना प्रदान कर वास्तविक रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता महोदय के समक्ष यह प्रथम अपील निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्तुत कर रहा है:

1. अपीलकर्ता का नाम	बिनोद चंद्र भट्ट (सचिव, उन्नति स्वयं सहायता समिति)
2. अपीलकर्ता का पता	ग्राम व पोस्ट- दीना (हल्दूचौड़), लालकुआं, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड।
3. लोक सूचना अधिकारी का विवरण	श्री नीरज चौधरी, अनुभाग अधिकारी, उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय, देहरादून।
4. मूल आवेदन की तिथि	20 अप्रैल 2026
5. पी०आई०ओ० के उत्तर का विवरण	पत्र संख्या 37/वि०स०/16/सूचना का अधिकार/2026 दिनांक 11 मई 2026 (प्राप्ति तिथि: मई 2026)
6. विवादित विषय/बिंदु	मूल आवेदन के बिंदु संख्या 1 एवं 2, जिसमें "गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने" संबंधी असरकारी संकल्प (पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022) पर सदन में हुई

	चर्चा की तिथि, की गई संपूर्ण कार्यवाही का विवरण तथा उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं।

अपील के विधिक एवं मुख्य आधार:

- **विशेषाधिकार हनन का गलत तर्क:** लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त संकल्प पर अभी सदन में "चर्चा जारी है", अतः नियम 149(घ) के तहत कार्यवाही मुद्रित होने से पूर्व इसे सार्वजनिक करना सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(c) के अंतर्गत विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होगा। यह स्थापना कानूनी रूप से असत्य है।
- **सदन के पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज सार्वजनिक हैं:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि जो संकल्प अथवा प्रस्ताव लोक प्रतिनिधियों द्वारा सदन के पटल पर आधिकारिक रूप से प्रस्तुत (Table) कर दिया जाता है, वह स्वतः ही सार्वजनिक दस्तावेज (Public Document) बन जाता है। उसे छुपाना या उस पर हुई चर्चा की तिथि और विवरण को गोपनीय रखना आर०टी०आई० अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है।
- **व्यापक जनहित एवं सामाजिक महत्व:** "गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना" उत्तराखंड की जनभावनाओं, संस्कृति और व्यापक जनहित से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्वजनिक विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता का कोई विधिक औचित्य नहीं है, और न ही मांगी गई सूचना से राज्य की सुरक्षा या किसी अन्य विशेषाधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **धारा 8(1)(c) का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग:** अधिनियम की धारा 8(1)(c) केवल उन अत्यंत विशिष्ट मामलों में लागू होती है जहाँ सूचना के प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का वास्तविक और सीधा हनन होता हो। सदन के भीतर घटित हो चुकी सार्वजनिक कार्यवाही की तिथि या विवरण मांगना कभी भी विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आ सकता। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना को रोकने के उद्देश्य से इस धारा का सहारा लिया गया है जो कि कानूनन अनुचित है।

अपीलकर्ता का सादर अनुरोध (Prayer):

अतः माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय से अत्यंत विनम्र प्रार्थना है कि न्यायहित और प्रशासनिक पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें कि वे मेरे मूल आवेदन के **बिंदु संख्या 1 एवं 2** से संबंधित सदन की अब तक की संपूर्ण कार्यवाही का लिखित विवरण, चर्चा की तिथियों का ब्यौरा तथा उपलब्ध समस्त संबंधित अभिलेखों एवं शासकीय पन्नों की प्रमाणित प्रतियां मुझे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के (निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन के कारण धारा 7(6) के तहत) अविलंब उपलब्ध कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक: 16/05/26

स्थान: हल्द्वानी

भवदीय,

(विनोद चंद्र भट्ट)

अपीलकर्ता

मोबाईल: 9410332400 / 7818971711

संलग्नक (छायाप्रतियां):

- 1. मूल आर०टी०आई० आवेदन की प्रति (दिनांक 20.04.2026)।
- 2. लोक सूचना अधिकारी, विधानसभा सचिवालय के विवादित उत्तर की प्रति (दिनांक 11.05.2026)।
- 3. उप सचिव के मूल पत्र दिनांक 05.03.2026 की प्रति (जिसका संदर्भ आवेदन में दिया गया था)।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
उतराखंड विधानसभा सचिवालय
देहरादून

विषय: गौ माता को राज्य माता घोषित करने संबंधी असरकारी संकल्प एवं जमा फाइल पर कार्यवाही की सूचना बाबत।

महोदय,

मांगी गई सूचनाएं:

1. उप सचिव के पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022 दिनांक 05 मार्च 2026 द्वारा सूचित असरकारी संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण दें।
2. उक्त संकल्प पर विचार की तिथि तय हुई है या नहीं, उसकी प्रमाणित प्रति दें।
3. दिनांक 13.02.2026 को गेट पास 24561 से जमा फाइल की डायरी संख्या, प्राप्ति तिथि व मार्किंग शाखा की प्रति दें।

संलग्नक (कुल 4):

1. पत्र दिनांक 05.03.2026 की छाया प्रति
2. गेट पास संख्या 24561 दिनांक 13.02.2026 की छाया प्रति
3. 36 से अधिक माननीय विधायकों द्वारा लिखित समर्थन पत्रों की छाया प्रति (सूची संलग्न)
4. सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आश्वासन पत्र की छाया प्रति

घोषणा: IPO संख्या 73F 424217 संलग्न

आवेदक: विनोद चंद्र भट्ट, दीना हल्दूचौड़ हल्द्वानी
मोबाइल: 9410332400 / 7818971711
दिनांक: 20.04.2026

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)
संख्या: 31 /वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026
देहरादून, दिनांक : 21 अप्रैल, 2026

लोक सूचना अधिकारी,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया आवेदक श्री विनोद चन्द्र भट्ट, दीना हल्दूचौड़, हल्द्वानी का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2026 जो इस सचिवालय में दिनांक 22.04.2026 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी बिन्दु संख्या 03 की सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

संख्या: /वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि: 1. श्री विनोद चन्द्र भट्ट, दीना हल्दूचौड़, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या 03 की सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। सूचना लोक सूचना अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित प्रतीत होती है। तदनुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है। शेष सूचना के संकलन हेतु इस कार्यालय के संबंधित अनुभाग को आपका अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जहाँ से सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हो तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(नीरज चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

स्पीड पोस्ट

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)
संख्या: 35/वि0स0/16/सूचना का अधिकार/2026
देहरादून, दिनांक : 06 मई, 2026

श्री विनोद चन्द्र भट्ट,
दीना हल्दूचौड़,
हल्द्वानी ।

कृपया आपका सूचना आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2026 जो इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2026 को प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) एवं 5(5) के अधीन इस कार्यालय के संबंधित अनुभाग (संसदीय अनुभाग) से प्राप्त वांछित सूचना–

क्रमांक	आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रतिउत्तर
01	**बिन्दु संख्या 01**– उप सचिव के पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022 दिनांक 05 मार्च 2026 द्वारा सूचित असरकारी संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण दें। **बिन्दु संख्या 02**– उक्त संकल्प पर विचार की तिथि तय हुई है या नहीं, उसकी प्रमाणित प्रति दें।	बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना 02 पृष्ठ में संलग्न है।
	विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता श्री हेम चन्द्र गुरूरानी, मुख्य प्रतिवेदक, कक्ष संख्या: 206, विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड। मोबाईल न0 8191901031 ई0 मेल आई0 डी0 hemgururani@gmail.com	**लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता** श्री नीरज चौधरी, अनुभाग अधिकारी, कक्ष संख्या: 106, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड। मोबाइल न0 8191901129 ई0 मेल आई0 डी0 neerajchoudhary19780@gmail.com

यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नही है, तो इस पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता उपरोक्त उल्लिखित है, अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(लक्ष्मीकांत उनियाल)
अनु सचिव
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या: /वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: 1. प्रथम अपीतीय अधिकारी/ मुख्य प्रतिवेदक, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(लक्ष्मीकांत उनियाल)
अनु सचिव
लोक सूचना अधिकारी।

दिनांक 13 मार्च, 2026 के उपवेशन की कार्यवाही,

::290ख::

मद संख्या–16 (4)

श्री अध्यक्ष :– माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह चौहान जी को संकल्प प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

श्री सुरेश सिंह चौहान :– माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए।"

श्री अध्यक्ष :– चर्चा जारी रहेगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

सेवामें,

मा० अध्यक्ष जी
उत्तराखण्ड विधान सभा

निवेदन है कि कार्य सूची के क्रम 16 में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" को प्रस्तुत करने के लिए मा० सदस्य श्री सुरेश चौहान को अधिकृत करता हूं।

आपसे अनुरोध है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 95 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

(हस्ताक्षर)
प्रीतम सिंह पंवार
विधायक
14 - धनोल्टी विधान सभा

दि० - 13-03-2026

प्रमाणित प्रति
(हस्ताक्षर)
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)

संख्याः 37/वि0स0/16/सूचना का अधिकार/2026
देहरादून, दिनांक : 11 मई, 2026

श्री विनोद चन्द्र भट्ट,
दीना हल्दूचौड़,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्याः 35/वि0स0/16/सूचना का अधिकार/2026 दिनांक 06 मई, 2026 के कम में इस कार्यालय से प्राप्त वांछित सूचना–

कमांक	आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रतिउत्तर
01	**बिन्दु संख्या 01**– उप सचिव के पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022 दिनांक 05 मार्च 2026 द्वारा सूचित असरकारी संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण दें। **बिन्दु संख्या 02**– उक्त संकल्प पर विचार की तिथि तय हुई है या नहीं, उसकी प्रमाणित प्रति दें।	बिन्दु संख्या 01 व 02 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत संकल्प जो कि दिनांक 13 मार्च 2026 को सदन में प्रस्तुत किया गया पर मा0 अध्यक्ष द्वारा संकल्प पर चर्चा जारी रखी गयी है। उक्त संकल्प पर आगामी सत्र में चर्चा के पश्चात् ही सदन की कार्यवाही "उत्तराखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली तथा मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रकिया संबंधी निदेश संख्या–149(कघ)(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार "कार्यवाही की सम्पूर्ण और शुद्ध प्रति मा0 अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त एवं मुद्रणोपरान्त सदन में वितरित किए जाने के पश्चात् ही किसी को उपलब्ध कराई जाएगी" के साथ पठित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ग)(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान–मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। के अनुसार सूचना दिया जाना सम्भव हो सकेगा।
	विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता श्री हेम चन्द्र गुरुरानी, मुख्य प्रतिवेदक, कक्ष संख्याः 206, विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड। मोबाईल न0 8191901031 ई0 मेल आई0 डी0 hemgururani@gmail.com	**लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता** श्री नीरज चौधरी, अनुभाग अधिकारी, कक्ष संख्याः 106, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड। मोबाइल न0 8191901129 ई0 मेल आई0 डी0 neerajchoudhary19780@gmail.com

यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता उपरोक्त उल्लिखित है, अपील कर सकते है।

भवदीय,

(नीरज चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

संख्याः /वि०स०/16/सू० का अधि०/2026 तददिनांक।,

प्रतिलिपिः 1. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ मुख्य प्रतिवेदक, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(नीरज चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

'कख' निजी एजन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये फुटेज के प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश

1. निजी एजन्सियाँ उनके द्वारा किये जा रहे रेडियो/टेलिवीजन प्रसारण में यह सुनिश्चित करें कि-
(क) सभा की कार्यवाही की सही और निष्पक्ष रिपोर्ट दी जा रही है,
(ख) इसमें व्यक्त की गई राय में संतुलित प्रतिनिधित्व है जिसमें विभिन्न संसदीय दलों/ग्रुपों की सदस्य संख्या के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है,
(ग) इसका प्रयोग किसी व्यंग्य या उपहास के लिए नहीं किया गया है,
(घ) इसका प्रयोग किसी राजनीतिक दल के विज्ञापन या चुनाव प्रचार या वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए नहीं किया गया है,
(ङ) इसमें ऐसी कोई टिप्पणी शामिल नहीं है जिसके संबंध में कोई सदस्य मिथ्या निरूपण का दावा करता हो या उस टिप्पणी को वापस लेने की मांग करता हो, जिसे बाद में वापस लेने का आदेश प्राप्त हो गया हो या स्वेच्छा से उसने इसे वापस ले लिया हो,
(च) इसमें कार्यवाही का कोई ऐसा अंश शामिल नहीं है जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही वृतांत में शामिल न करने का आदेश दिया गया हो या बाद में जिसे कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, और
(छ) सभा की कार्यवाही का टेली-फिल्मांकन करने और उसका टेलीविजन प्रसारण करने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से और पूर्णरूपेण पालन किया गया है।

2. पत्रकार दीर्घा में स्थानाभाव के कारण मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रेस से संबंधित अधिकृत पत्रकारों के अवलोकनार्थ मीडिया सैन्टर में हो रहे सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की क्लीपिंग/फोटो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से खीचकर रिकॉर्ड करना वर्जित है।

"(कग) सदन की कार्यवाही की वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने संबंधी निदेश

(ग) सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग तथा संपादन की स्थायी व्यवस्था होने तक यह फुटेज किसी को भी वितरित न की जाए, अत्यन्त असाधारण अपवादिक परिस्थितियों में विशेष अवसर को माननीय अध्यक्ष से विशेष आग्रह के अनुमोदनोपरान्त सचिव के निर्देशन में वीडियो रिकार्डिंग की संपादित क्लिप उपवेशन के दिन ही वृहद प्रसारण हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

"(कघ) कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी दिशा-निदेश

(घ) कार्यवाही की सम्पूर्ण और शुद्ध प्रति माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त एवं मुद्रणोपरान्त सदन में वितरित किये जाने के पश्चात् ही किसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। जिसमे निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा

अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

(छ) सूचना जिसको प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे ;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई

पंजीकृत डाक

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग--1
संख्या RTI/1259/06-RTI/XV-1/2026
देहरादूनः दिनांकः 01 जून 2026

श्री विनोद चन्द्र भट्ट
सचिव, उन्नति स्वयं सहायता समिति
निवासी– दीना, हल्दूचौड़, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 09.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या–969/XV-1/2026/06/RTI/2026 दिनांक–30 अप्रैल 2026 के कम में रू0 30/– का अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध कराया गया है। तत्कम में आपके पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक– 20.04.2026 के कम में 15 पृष्ठों में वांछित सूचना प्रमाणित कर आपको प्रेषित की जा रही है।

2-- यदि उक्त प्रदत्त सूचना से आप संतुष्ट न हों तो, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है:–

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता:
श्री महावीर सिंह परमार
प्रथम अपीलीय अधिकारी/उपसचिव
ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम भवन, तृतीय तल,
कक्ष संख्या–308, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
दूरभाष संख्या–9927699133

(प्रभा आर्या)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी

संख्या– तदैव एवं तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः 1. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत शुल्क के रूप में प्राप्त रू0 30/– (भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या–73 F 133466, 73 F 133467 73 F 133468) को राजकोष में जमा करते हुए जमा रसीद उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

(प्रभा आर्या)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(संसदीय अनुभाग)
संख्याः 13 /वि0स0/13/संसदीय/2022
देहरादून, दिनांक : 05 मार्च, 2026

प्रेषक,
सचिव,
विधान सभा।

सेवा में,
माननीय पशुपालन मंत्री,
उत्तराखण्ड।

विषयः-उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-87 के अन्तर्गत अभिसूचित असरकारी संकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित असरकारी संकल्प को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की आज्ञा से ग्राह्य कर लिया गया है:-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय।"

इस संकल्प पर सदन में विचार के लिए तिथि एवं समय निर्धारित होने के उपरान्त उसकी सूचना यथासमय पृथक से आपको प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,
(हेम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा)
कृते सचिव।

संख्याः /वि0स0/13/संसदीय/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः-
1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, माननीय सदस्य, विधान सभा,
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
3. अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(हेम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा)
कृते सचिव।

R.T.I. लोक सूचना अधिकारी

Note # 1

वि0प0— सचिव, विधान सभा का पत्र दिनांक—05 मार्च 2016।

अनुसचिव,

कृपया वि0प0 का अवलोकन करना चाहें।

2— वि0प0 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम—87 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्न असरकारी संकल्प, अभिसूचित किया गया है:—

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय।"

3 — उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2006 के पृष्ठ 63 के XV-1 में पशुपालन विभाग के कार्य निर्धारित/आवंटित किये गये हैं। उक्त के अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया जाना पशुपालन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

4— अवगत कराना है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग को आवंटित कार्यों के बिन्दु संख्या—39 में उल्लिखित है कि ऐसा कोई नवीन विषय जो सचिवालय के किसी अन्य विभाग/अनुभाग में आंशिक रूप से भी व्यवहरित न हो रहा हो तथा अन्य किसी विभाग/अनुभाग के कार्यों से सम्बन्धित प्रतीत न होता है।

5— अतः उक्त नियम—87 के अन्तर्गत अभिसूचित असरकारी संकल्प पशुपालन विभाग से सम्बन्धित न होने के दृष्टिगत उक्त प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहें। तत्क्रम में पत्रावली उच्च स्तर पर प्रस्तुत है।

06/03/2026 02:43 pm — **ANUJ SEKHAR**, **REVIEW OFFICER**

Note # 2

06/03/2026 02:44 pm — **DISHANT**, **SECTION OFFICER**

Note # 3

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति उपलब्ध
लोक सूचना अधिकारी

. AHS-G/G6/44/2026-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 100363)
ted from eOffice by PANKAJ SINGH SAJWAN, RO-Animal Husbandary Section-PSS, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 27/04/2026 01:51 pm

06/03/2026 03:05 pm — **PRABHA ARYA**, **UNDER SECRETARY** (Digitally Signed)

Note # 4

नियम—87 के अन्तर्गत अभिसूचित असरकारी संकल्प को सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर कृपया सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहें।

06/03/2026 05:51 pm — **MAHAVEER SINGH PARMAAR**, **DEPUTY SECRETARY** (Digitally Signed)

Note # 5

महोदय अवगत है कि पशुपालन विभाग का मुख्य कार्य पशुओं, जिनमें गाय भी सम्मिलित है, के उन्नयन, चिकित्सा एवं इससे स्वरोजगार आदि से सम्बन्धित है। पशुओं को राज्य चिन्ह या राज्य माता आदि का दर्जा दिया जाना पशुपालन विभाग का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः इस संकल्प के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को कृपया पत्रावली सन्दर्भित करना चाहें।

06/03/2026 06:04 pm — **SANTOSH BADONI**, **ADDITIONAL SECRETARY** (Digitally Signed)

Note # 6

06/03/2026 06:21 pm — **BASAVA VENKATA RAMA CHANDRA PURUSHOTTAM**, **SECRETARY** (Digitally Signed)

Note # 7

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति उपलब्ध
लोक सूचना अधिकारी

No. AHS-G/G6/44/2026-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 100363)
erated from eOffice by PANKAJ SINGH SAJWAN, RO-Animal Husbandary Section-PSS, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 27/04/2026 01:51 pm

16/03/2026 09:34 pm

RAJENDRA KUMAR
SECRETARY
Digitally Signed

Note # 8

31/03/2026 01:18 pm

SURESH CHANDRA PANDEY
SECTION OFFICER

Note # 9

अनु सचिव,

कृपया प्रशासकीय विभाग पशुपालन विभाग की इस ई–पत्रावली के माध्यम राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित किया गया हैं।

2– अवगत कराना हैं कि उपरोक्त प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित नही हैं तथा यह प्रकरण संस्कृति विभाग से सम्बन्धित प्रतीत होता हैं।

अतः इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली सचिव महोदय के माध्यम से संस्कृति विभाग को सन्दर्भित करना चाहें।

01/04/2026 03:05 pm

RAVISH KANT TOMAR
REVIEW OFFICER

Note # 10

01/04/2026 03:35 pm

SURESH CHANDRA PANDEY
SECTION OFFICER

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

Note # 11

01/04/2026 04:08 pm

JYOTIRMAY TRIPATHI
UNDER SECRETARY
Digitally Signed

Note # 12

अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से सन्दर्भित है ।

01/04/2026 04:50 pm

SURESH CHANDRA JOSHI
ADDITIONAL SECRETARY
Digitally Signed

Note # 13

This matter is not related with GAD ,therefore either it should be sent to Culture department or sent back to Pashupalan deptt.

01/04/2026 05:25 pm

JYOTIRMAY TRIPATHI
UNDER SECRETARY
Digitally Signed

Note # 14

02/04/2026 01:53 pm

MAHAVEER SINGH CHAUHAN
ADDITIONAL SECRETARY
Digitally Signed

Note # 15

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

02/04/2026 02:26 pm	VINOD KUMAR SUMAN SECRETARY Digitally Signed

Note # 16

02/04/2026 04:59 pm	BASAVA VENKATA RAMA CHANDRA PURUSHOTTAM SECRETARY Digitally Signed

Note # 17

कृपया वार्ता करें।

02/04/2026 05:09 pm	SANTOSH BADONI ADDITIONAL SECRETARY Digitally Signed

Note # 18

अपर सचिव महोदय से वार्ता हुई। कृपया संस्कृति विभाग की सहमति/परामर्श प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्तुत करें।

08/04/2026 01:41 pm	MAHAVEER SINGH PARMAAR DEPUTY SECRETARY Digitally Signed

Note # 19

08/04/2026 01:45 pm	PRABHA ARYA UNDER SECRETARY

Note # 20

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

No. AHS-G/G6/44/2026-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 100363)
Generated from eOffice by PANKAJ SINGH SAJWAN, RO-Animal Husbandary Section-PSS, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 27/04/2026 01:51 pm

08/04/2026 03:04 pm	DISHANT SECTION OFFICER

Note # 21

वि0प0– निदेशक, पशुपालन का पत्र दिनांक 10 मार्च 2016।

अनुसचिव,

कृपया वि0प0 का अवलोकन करना चाहें।

2– वि0प0 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में गौमाता को 'राज्य माता' घोषित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 विभागीय मंत्री जी के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026 के कम में शासन के पत्र संख्या 460/XV–1/2026/62038, दिनांक 26 फरवरी, 2026 एवं श्री बृजभूषण गैरोला, मा0 सदस्य विधानसभा के पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2026 के कम में शासन के पत्र संख्या शासन 467/XV–1/2026/88334 दिनांक 27 फरवरी, 2026 द्वारा निदेशक, पशुपालन को प्रकरण में स्पष्ट मंतव्य सहित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसके कम में निदेशक, पशुपालन द्वारा उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग को देवभूमि उत्तराखण्ड में गौमाता को "राज्य माता" घोषित किए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार परीक्षण कराते हुए अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 594/42/2025–26 दिनांक 06.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वैदिक धर्म ग्रन्थों, वेदों एवं पुराणों में गाय को सम्पूर्ण विश्व की माता कहा गया है (गावो विश्वस्य मातरः)। गाय सृष्टि के प्रारम्भ से ही धर्म, जाति, वंश आदि का भेद किए बिना अपने दूध से सबका पालन–पोषण करते आयी है। गाय स्वभाव से बड़ी उदार होने के साथ–साथ शिशु के लिए, माँ के दूध के बाद गाय का दूध सबसे गुणकारी माना गया है। कृषि आधारित भारती अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल से ही बहुसंख्यक आबादी हेतु गौपालन नियमित आय का प्रमुख्य श्रोत रहा है। गौ एवं गौवंश को समस्त प्राणि जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए गौ एवं गावंश के प्रति विशेष श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रहा है। गौ माता से देश एवं प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हैं। "गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने हेतु" उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पूर्व में ही संकल्प पारित करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

राज्य में गौ एवं गौवंश के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

AHS-G/G6/44/2026-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 100363)
...d from eOffice by PANKAJ SINGH SAJWAN, RO-Animal Husbandary Section-PSS, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 27/04/2026 01:51 pm

अधिनियम, 2007 पारित किया गया है, जिसके धारा– 3(1) की उपधारा–(क) एवं (ख) के तहत गोवध पर तथा धारा–5 के तहत गोमांस रखने, बेचने व परिवहन पर पूर्णतया प्रतिषेध है तथा उक्त प्रावधानों को कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु पुलिस विभाग के स्तर पर पृथक से गौवंश संरक्षण स्क्वायड का गठन किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित उपरोक्त पत्र एवं प्रदेश के लाखों गौ–प्रेमियों, गौ भक्तों, साधु–संतों की मांग व प्रदेशवासियों की जनभावना के दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखण्ड में गौमाता को "राज्य माता" का दर्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से विचार किये जाने के लिए उक्तानुसार आख्या/प्रस्ताव कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में पं0 राजेन्द्र अणथ्वाल, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–468, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025, एवं पत्र संख्या 569, दिनांक 25 फरवरी, 2026 भी अवलोकनीय हैं, जिनके माध्यम से भी गौमाता को 'राज्य माता' का दर्जा दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–87 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित किये गये असरकारी संकल्प, दिनांक 05 मार्च, 2026 "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय।" के कम में उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2006 के पृष्ठ 63 के XV-1 में पशुपालन विभाग के कार्य निर्धारित/आवंटित किये गये कार्यों में के अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया जाना पशुपालन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

5. अवगत कराना है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग को आवंटित कार्यों के बिन्दु संख्या–39 में उल्लिखित है कि ऐसा कोई नवीन विषय जो सचिवालय के किसी अन्य विभाग/अनुभाग में आंशिक रूप से भी व्यवहरित न हो रहा हो तथा अन्य किसी विभाग/अनुभाग के कार्यों से सम्बन्धित प्रतीत न होता है। अतः उक्त नियम–87 के अन्तर्गत अभिसूचित असरकारी संकल्प पशुपालन विभाग से सम्बन्धित न होने के दृष्टिगत उक्त प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु पत्रावली नोट संख्या 1 कम में नोट 5 पर सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोट 13 पर प्रकरण उनसे सम्बन्धित नहीं होने के दृष्टिगत संस्कृति विभाग को प्रस्तुत किये

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. अतः उपरोक्त के तथ्यों के आलोक में देवभूमि उत्तराखण्ड में गौमाता को 'राज्य माता' घोषित किए जाने के सम्बन्ध में पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्कृति विभाग को संदर्भित किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार पत्रावली सचिव महोदय के माध्यम से संस्कृति विभाग को संदर्भित करना चाहें।

23/04/2026 01:34 pm

PANKAJ SINGH SAJWAN
REVIEW OFFICER
Digitally Signed

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

Note # 611

वо०पо :— मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार का पत्र दिनांक 22.01.2026

अनुसचिव,

कृपया वि0पत्र का संलग्नकों सहित अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार का पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026, जो मा0 मुख्मंत्री जी को सम्बोधित है, 1905 पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.02.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री विनोद भट्ट (गौभक्त), ग्राम–दीना, हल्दूचौड, जिला नैनीताल गौमाता के कल्याण हेतु लगातार संघर्ष कर रहे है। श्री विनोद भट्ट द्वारा गौमाता को उत्तराखण्ड राज्य में राज्यमाता का संवैधानित दर्जा दिलवाने के लिए हरिद्वार से देहरादून तक 15 दिवसीय दण्डवत यात्रा करने के साथ ही 05 दिवसीय अन्न–जल त्याग कर उपवास भी किया गया है। इनके द्वारा किये गये अभियान गायों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव तथा भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी प्रतिबद्वता हो दर्शाता हैं। अतः श्री विनोद भट्ट द्वारा किये जा रहे निस्वार्थ सेवा भाव व जनभावनाओं के दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखण्ड में **गौमाता** को **"राज्यमाता"** घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के कम में निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रश्नगत प्रकरण में अपने मन्तव्य सहित नियमानुसार आख्या तत्काल शासन में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया सहमति की दशा में उक्त प्रस्ताव/आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

25/02/2026 12:45 pm

SHALINI SHARMA
REVIEW OFFICER

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

सी0एम0पोर्टल 1905
संख्या– 460/XV-1/2026/62038

प्रेषक,

प्रभा आर्या,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषयः देवभूमि उत्तराखण्ड में गौमाता को "राज्यमाता" घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या–वी0आई0पी0–557/2025–26, दिनांक 22 जनवरी, 2026, जो 1905 पोर्टल में संदर्भ संख्या–वी0आई0पी0–022026–13–951375 दिनांक 06 फरवरी,2026 के माध्यम से दिनांक 11.02.2026 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 मुख्यंमत्री जी को सम्बोधित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री विनोद भट्ट (गौभक्त), ग्राम–दीना, हल्दूचौड, जिला नैनीताल गौमाता के कल्याण हेतु लगातार संघर्ष कर रहे है। उनके द्वारा किये गये अभियान गायों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हो दर्शाता हैं। अतः श्री विनोद भट्ट द्वारा किये जा रहे निस्वार्थ सेवा भाव व जनभावनाओं के दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखण्ड में गौ माता को "राज्यमाता" घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कराते हुए अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/आख्या तत्काल शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया

Digitally Signed by
Prabha Arya
Date: 26-02-2026
13:12:05

(प्रभा आर्या)
अनु सचिव

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी

Note # 148

वि0प0–1. श्री देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री) समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति आवास–प्रीत विहार, निकट रेलवे स्टेशन रूडकका पत्र दिनांक 24.12.2025.

वि0प0–2. डॉ0 पं0 राजेन्द्र अणथ्वाल अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग, देहरादून का पत्र दिनांक 27.02.2026.

वि0प0–3. सुश्री दीपिका मैखुरी प्रमुख क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग जनपद–चमोली का पत्र दिनांक 25.02.2026.

वि0प0–4. डॉ0 राजीव बिन्दल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा हिं0प्र0 पूर्व अध्यक्ष, हि0प्र0 का पत्र दिनांक 29.06.2025.

वि0प0–5. श्री योगम्बर सिंह बैरवाज अध्यक्ष, पेरावेट एसोसिएशन, रूद्रप्रयाग का पत्र दिनांक 20.02.2026.

अनुसचिव,

कृपया वि0पत्रों का संलग्नकों सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– वि0प0–1 के माध्यम से बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण बहु–उद्देशीय शिविर मे प्राप्त श्री रामेश्वर पुत्र श्री कलीराम निवासी ग्राम सुसाड़ा के आवेदन पत्र द्वारा पशु का मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– वि0प0–2 के माध्यम से गौमाता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4– वि0प0–3 के माध्यम से पशुपालन केन्द्र भराडीसैण (गैरसैंण) को यथास्थान पुनः स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– वि0प0–4 के माध्यम से डा0 चित्रा धीमान पशु चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए सुगम क्षेत्र देहरादून के आस–पास पास करने हेतु अनुरोध किया गया है।

6– वि0प0–5 के माध्यम से शुपालन विभाग मे पेरावेट व्रकरों को मानदेय व समायोजन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही निदेशक, पशुपालन के स्तर से की जानी है। अतः इस सम्बन्ध में निवेदित है कि वि0प0 की छायाप्रति संलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाय, कृपया सहमति की दशा में आलेख पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

–

–

R.T.I के अंतर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

23/03/2026 04:49 pm

SHALINI SHARMA
REVIEW OFFICER

R.T.I के अंतर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

पत्र संख्या– 638 /XV-1/25/88334

प्रेषक,

प्रभा आर्या,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय– मुख्यमंत्री कार्यालय/विभागीय मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय/विभागीय मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषक का नाम एवं पता	विषय
1.	अर्द्ध.शा.पत्र सं0–702/ दिनांक 24.12.2025	श्री देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री) समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति आवास–प्रीत विहार, निकट रेलवे स्टेशन रूड़की।	बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण बहु–उद्देशीय शिविर में प्राप्त श्री रामेश्वर पुत्र श्री कलीराम निवासी ग्राम सुसाड़ा के आवेदन पत्र द्वारा पशु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
2.	संख्या–815/PPS/मु0मं0/2026 दिनांक 05.03.2026 संख्या–816/PPS/मु0मं0/2026 दिनांक 05.03.2026	डॉ0 पं0 राजेन्द्र अणथ्वाल अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग, देहरादून।	गौमाता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
3.	दिनांक 25.02.2026	सुश्री दीपिका मैखुरी प्रमुख क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग जनपद–चमोली (उत्तराखण्ड) निवास–ग्राम उत्तरों (लंगासू) वि0ख0–कर्णप्रयाग, जनपद चमोली।	पशुपालन केन्द्र भराड़ीसैण (गैरसैंण) को यथास्थान पुनः स्थापित किये जाने के संबंध में।
4	आगमन कमांक–1998 दिनांक 09.07.2025	डॉ0 राजीव बिन्दल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा हि0प्र0 पूर्व अध्यक्ष, हि0प्र0 विधान सभा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हि0प्र0।	डा0 चित्रा धीमान पशु चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए सुगम क्षेत्र देहरादून के आस–पास पास करने के सम्बन्ध में।
5	संख्या–GE/(C2480/XXXV-2/2026(1) दिनांक 16.03.2026	श्री योगम्बर सिंह बैरवाज अध्यक्ष, पैरावेट एसोसिएशन, रूद्रप्रयाग।	पशुपालन विभाग में पैरावेट वर्करों को मानदेय व समायोजन करने के सम्बन्ध में।

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

2– उक्त प्रत्यावेदनों/सन्दर्भों की छायाप्रतियां सलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित पक्ष एवं शासन को उपलब्ध कराया जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Prabha Arya
Date: 24-03-2026 12:12:55
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

R.T.I के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित लोक सूचना अधिकारी

स्पीड पोस्ट

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)
संख्या : /वि0स0/160/प्रथम अपील/2025
देहरादून, दिनांक : 10 जून, 2026

अपील संख्या : 160/2026

अपील : अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समक्ष : हेम चन्द्र गुरूरानी, अपीलीय अधिकारी/मुख्य प्रतिवेदक, विधानसभा, उत्तराखण्ड।

अपीलकर्ता : श्री विनोद चन्द्र भट्ट, ग्राम व पोस्ट–दीना (हल्दूचौड़), लालकुऑं, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।

प्रतिवादी : श्री नीरज चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, विधानसभा, उत्तराखण्ड।

प्रस्तुत अपील श्री विनोद चन्द्र भट्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, विधानसभा श्री नीरज चौधरी के विरूद्ध वांछित सूचनाएं न दिये जाने से क्षुब्द्ध होकर योजित की गयी है। अपीलकर्ता श्री विनोद चन्द्र भट्ट द्वारा अपने सूचना का अधिकार के पत्र दिनांक 20.04.2026 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड विधानसभा से निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर सूचना मॉगी गयी थी।

1. उप सचिव के पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022 दिनॉक 05 मार्च, 2026 द्वारा सूचित असरकारी संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण दें।
2. उक्त संकल्प पर विचार की तिथि तय हुई या नहीं, उसकी प्रमाणित प्रति दें।
3. दिनॉक 13.02.2026 को गेट पास 24561 से जमा फाईल की डायरी संख्या, प्राप्ति तिथि व मार्किंग शाखा की प्रति दें।

श्री विनोद चन्द्र भट्ट द्वारा प्रथम अपील हेतु दिनॉक 16.05.2026 का प्रार्थना पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी, विधान सभा सचिवालय के कार्यालय में दिनांक 18.05.2026 को प्राप्त हुआ। अपील की सुनवाई हेतु दोनों पक्षकारों को नोटिस संख्या–575/वि0स0/160/प्रथम अपील/2026 दिनांक 22.05.2026 को जारी किये गये तथा अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.2026 की तिथि निर्धारित की गई।

आज दिनांक 10.06.2026 को अपीलकर्ता श्री विनोद चन्द्र भट्ट सुनवायी के दौरान अनुपस्थित हैं। अपीलकर्ता द्वारा ई–मेल तथा पत्र के माध्यम से पूर्व में ही पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित न हो पाने की सूचना प्रेषित कर दी गयी थी। लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय तथा अनुभाग अधिकारी, कार्यवाही अनुभाग–1, विधान सभा सचिवालय सुनवाई हेतु उपस्थित हैं।

लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलकर्ता श्री विनोद चन्द्र भट्ट द्वारा दिनॉक 22.04.2026 को 03 बिन्दुओं पर विधान सभा सचिवालय से

सूचना माँगी गयी थी। जिनमें से बिन्दु संख्या–01 तथा बिन्दु संख्या–02 की सूचना विधान सभा सचिवालय के संसदीय अनुभाग/कार्यवाही अनुभाग में धारित है तथा बिन्दु संख्या–03 सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है, जिसे पत्र संख्या : 31/वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026 दिनॉक 24.04.2026 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग को अन्तरित कर दिया गया था। उक्त पत्र की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता को प्रेषित कर दी गयी थी तथा बिन्दु संख्या–01 तथा बिन्दु संख्या–02 की सूचना पत्र संख्या : 31/वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026 दिनॉक 24 अप्रैल, 2026 तथा पत्र संख्या : 35/वि0स0/16/सू0 का अधि0/2026 दिनॉक 06 मई, 2026 के माध्यम से आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा दी गयी है।

अपीलकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करने पर अपीलकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या–01 तथा बिन्दु संख्या–02 पर लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय से प्राप्त सूचना पर वे पूर्णतः संतुष्ट हैं किन्तु बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित फाईल उनके द्वारा सचिव, विधान सभा को सौंपी गयी थी, जिस पर जवाब विधान सभा सचिवालय से अपेक्षित है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा, निजी सचिव, सचिव, विधान सभा तथा अनुभाग अधिकारी, संसदीय अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर बिन्दु संख्या–03 की सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएं। अपील पर सुनवाई हेतु अगली तिथि 30.06.2026 समय 03:00 बजे अपराह्न निर्धारित की जाती है।

अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड विधान सभा, निजी सचिव, सचिव विधान सभा तथा अनुभाग अधिकारी, संसदीय अनुभाग, उत्तराखण्ड विधान सभा को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30.06.2026 को निर्धारित समय पर अपीलीय अधिकारी के कक्ष में अनिवार्य रुप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉक 10.06.2026

(हेम चन्द्र गुरूरानी)
अपीलीय अधिकारी/मुख्य प्रतिवेदक।

संख्या : 576/वि0स0/160/प्रथम अपील/2025 तद्दिनॉक
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री विनोद चन्द्र भट्ट, ग्राम व पोस्ट–दीना (हल्दूचौड़), लालकुऑ, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
2. श्री नीरज चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड विधानसभा।
3. निजी सचिव, सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. अनुभाग अधिकारी, संसदीय अनुभाग, विधान सभा सचिवालय।
5. अपील पत्रावली।

(हेम चन्द्र गुरूरानी)
अपीलीय अधिकारी/मुख्य प्रतिवेदक।

मोबाईल संख्या : 8191901031
email id : hemgururani@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय
देहरादून

विषय: गौ माता को राज्य माता घोषित करने संबंधी असरकारी संकल्प एवं जमा फाइल पर कार्यवाही की सूचना बाबत।

महोदय,

मांगी गई सूचनाएं:

1. उप सचिव के पत्र संख्या वि0स0/13/संसदीय/2022 दिनांक 05 मार्च 2026 द्वारा सूचित असरकारी संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाय" पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण दें।
2. उक्त संकल्प पर विचार की तिथि तय हुई है या नहीं, उसकी प्रमाणित प्रति दें।
3. दिनांक 13.02.2026 को गेट पास 24561 से जमा फाइल की डायरी संख्या, प्राप्ति तिथि व मार्किंग शाखा की प्रति दें।

संलग्नक (कुल 4):

1. पत्र दिनांक 05.03.2026 की छाया प्रति
2. गेट पास संख्या 24561 दिनांक 13.02.2026 की छाया प्रति
3. 36 से अधिक माननीय विधायकों द्वारा लिखित समर्थन पत्रों की छाया प्रति (सूची संलग्न)
4. सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आश्वासन पत्र की छाया प्रति

घोषणा: IPO संख्या 73F 424217 संलग्न

आवेदक: विनोद चंद्र भट्ट, दीना हल्दूचौड़ हल्द्वानी
मोबाइल: 9410332400 / 7818971711
दिनांक: 20.04.2026

सचिव
उन्नति स्वयं सहायता समिति
ग्राम दीना हल्दूचौड़
लालकुआँ (नैनीताल) उ०खं०